जननी सेवा आज से, मनपसंद चीजें मिलेंगी

नन्हे मेहमानों की भी खातिर करेगा रेलवे

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

इंडियन रेलवे अब तक पैसेंजरों के लिए ही भोजन की व्यवस्था करता था लेकिन अब उसने नन्हे पैसेंजरों पर खास ध्यान देने का फैसला किया है। इसके तहत ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर बच्चों के लिए उनकी पसंद और जरूरत की चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। इस सुविधा का नाम जननी सेवा होगा। हालांकि अभी इसकी शुरुआत कुछ रेलवे स्टेशनों और चुनिंदा ट्रेनों में ही की जाएगी।

बुधवार को रेलवे इस योजना की शुरुआत करेगा। इसके तहत ट्रेन में बच्चों के लिए गर्म दूध, गर्म पानी और खाने का दूसरा सामान भी मिलेगा। बच्चों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले सामान की लिस्ट भी बनाई गई है। इसमें बच्चों की पसंद की चॉकलेट, केक, चिप्स, कुरकुरे जैसे आइटम होंगे। हालांकि इसके लिए पैसेंजरों को पैसे चुकाने होंगे। रेलवे अफसरों का कहना है कि अभी कुछ ट्रेनों में यह सुविधा होती है लेकिन यह ट्रेन में खाना सप्लाई करने वाले ठेकेदार की मर्जी पर निर्भर होता है। लेकिन अब रेलवे इसे अनिवार्य करने जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक रेलमंत्री सुरेश प्रभु के निर्देश पर रेलवे ने छोटे बच्चों के लिए यह योजना बनाई है। हाल के महीनों में कई बार रेलवे को शिकायतें मिली हैं कि सफर के दौरान छोटे बच्चों को या तो दूध नहीं मिला या फिर गर्म पानी की सुविधा न होने की वजह से सर्दी के दिनों में छोटे बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ा।

इसी तरह से रेलवे दो शताब्दी और दो राजधानी ट्रेनों में भी यात्रियों के लिए भोजन की ऑप्शनल सर्विस शुरू करने जा रहा है। अब तक शताब्दी और राजधानी के पैसेंजर चाहे सफर के दौरान भोजन लें या नहीं, लेकिन उसे ट्रेन का टिकट खरीदते वक्त ही पैसा चुका देना होता था लेकिन अब रेलवे विकल्प देगा कि अगर यात्री भोजन न लेना चाहे तो उसे टिकट के साथ भोजन की राशि नहीं देनी होगी। इस तरह पैसेंजर को ट्रेन के किराए में भोजन की राशि कम करके पैसे देने होंगे।

5 से 12 साल के बच्चों के लिए शुरू की जा रही है यह सुविधा

बच्चों की पसंद की चॉकलेट, केक, नूडल्स, आइसक्रीम, चिप्स, फ्लेवर्ड मिल्क, चिकन विंग्स, टोमैटो चिप्स आदि मिलेंगे

विकलांग यात्रियों का सहयोगी के साथ सफर करना जरूरी नहीं

■ **विस, नई दिल्ली :** अब ट्रेन में सफर करने वाले शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग यात्रियों के लिए किसी साथी के साथ यात्रा करना जरूरी नहीं होगा। अगर ऐसे विकलांग यात्री अकेले ही रेल में सफर करना चाहेंगे तो उन्हें रेलवे रियायती दर पर टिकट उपलब्ध कराएगा। रेलवे ने अपने नियमों में यह बदलाव चेन्नै हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद किया है। रेलवे का नया नियम 15 जून से लागू हो जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक अब तक नियम यह था कि शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग यात्रियों को तभी रियायती दर पर टिकट उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि उसके साथ कोई और व्यक्ति न हो। विकलांग के साथ सहयोगी को भी रियायती टिकट मिलता था लेकिन विकलांगों के लिए दिक्कत यह थी कि अगर वे अकेले यात्रा करना चाहें तो रेलवे उनका रियायती टिकट ही बुक नहीं करता था।

इस मामले में चेन्नै हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई थी और अदालत ने रेलवे को निर्देश दिया कि अगर विकलांग व्यक्ति बिना किसी सहयोगी के साथ अकेले रेल में सफर करना चाहता है तो रेलवे उसका रियायती टिकट बुक करने से इनकार नहीं कर सकता।

Nav Bharat Times, New Delhi | June 8, 2016